

न्यायालय:- पंकज कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

व्यवहार वाद क्रमांक-52 ए/2017

संस्थित दिनांक-14/03/2017

फाईलिंग नंबर 234/2017

प्रदीप कुमार पिता स्व. हाकिमचंद गंगवानी,
उम्र 54 वर्ष, जाति पंजाबी पेशा व्यवसायी
निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूलगंज बैतूल
थाना तह. जिला- बैतूल (म0प्र0)

.....**वादी**

विरुद्ध

- 1 **म.प्र.शासन,**
द्वारा- जिला कलेक्टर बैतूल
- 2 तहसीलदार बैतूल
3. श्रीमती रूकमाबाई जौजे मानू उईके उम्र 40 वर्ष,
जाति गोंड निवासी ग्राम परसोडी थाना तह.
जिला बैतूल हाल-मुकाम हमलापुर बैतूल तह. जिला बैतूल
4. श्रीमती रामद्विती बाई बेवा हाकीमचंद गंगवानी
उम्र 75 वर्ष नि. राजेन्द्र वार्ड बैतूलगंज बैतूल
तह. जिला बैतूल म.प्र.
5. शाखा प्रबंधक बैंक आफ महाराष्ट्र
शाखा बैतूल गंज बैतूल तह. जिला बैतूल
6. शाखा एच.डी.एफ.सी. बैंक प्रबंधक,
शाख बैतूल गंज बैतूल तह. जिला बैतूल म.प्र.

.....**प्रतिवादीगण**

!! आदेश !!

(आज दिनांक 06/11/2017 को पारित)

- (1) इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र

P.T.O.

अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 2 का निराकरण किया जा रहा है।

(2) संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 नजूल शीट नंबर 23, 24 एवं 25 प्लाट नंबर 7/11, 1/10, 1/21 एवं 1/22 कुल रकबा 3204 वर्गफुट के भूमिस्वामी है जिसमें से नजूल शीट नंबर 23 प्लाट नंबर 1/21 क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट पर एक कच्चा मकान लगभग 50 वर्ष पुराना बना हुआ है। नजूल शीट नंबर 25 प्लाट नंबर 7/11 क्षेत्रफल 204 वर्गफुट की दुकान ओम मेडिकल स्टोर है जिसका रजिस्टर्ड तबादलानामा दिनांक 09-11-2016 को राजेन्द्र पिता रामलुभाय गंगवानी से किया गया है जिसका वर्तमान नजूल शीट नंबर 25 प्लाट नंबर 7/11 क्षेत्रफल 204 वर्गफुट है, जिस पर पक्की दुकान पुरानी दुकान से तीन दुकान छोड़कर ओम मेडिकल स्टोर स्थित है। नजूल शीट नंबर 23 प्लाट नंबर 1/12 क्षेत्रफल 1410 वर्गफुट एवं नजूल शीट नंबर 24 प्लाट नंबर 1/10 क्षेत्रफल 90 वर्गफुट इस प्रकार कुल 1500 वर्गफुट भूमि स्थित है।

(3) प्रतिवादी क्रमांक-3 ने वादी के विरुद्ध धारा 10 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन मामला पेश किया था जिसमें दिनांक 22.01.2010 को वादी के विरुद्ध 3,22,085/-रुपये क्षतिधन भुगतान करने के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी ने अग्रिम कार्यवाही की लेकिन उसके पक्ष में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। वादी द्वारा प्रतिकर राशि अदा नहीं की गई तब श्रम न्यायालय बैतूल द्वारा आर.आर.सी. जारी कर तहसीलदार बैतूल को क्षति धन राशि वसूली हेतु निर्देशित किया गया जिसका तहसीलदार बैतूल के न्यायालय में क्षतिधन वसूली प्रकरण क्रमांक 05/अ-76/09-10 है। वादी की करीब 8-10 वर्ष से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है इसलिये वह प्रतिवादी क्र. 3 के पक्ष में राशि जमा नहीं करा पाया। प्रतिवादी क्र. 2 तहसीलदार बैतूल के समक्ष वादी ने यह निवेदन किया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिये उसके द्वारा 10,000/-रुपये की राशि जमा की जा रही है तथा शेष राशि का भुगतान किश्तों में अदा किये जाने की अनमति दी जावे लेकिन तहसीलदार द्वारा 10,000/-रुपये नहीं

लिये और संपूर्ण राशि एक मुश्त अदा करने को कहा गया अन्यथा वादी की संपत्ति नीलाम विक्रय की कार्यवाही कर राशि वसूली हेतु कहा गया। उपरोक्त भूमियां वादी तथा प्रतिवादी क्र. 4 की शामिल शरीक है तथा उनका बंटवारा नहीं हुआ है, तहसीलदार को भूमियां बिना बंटवारे के विक्रय करने का अधिकार नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी क्र. 4 द्वारा अपने व्यवसाय के लिये प्रतिवादी क्र. 5 एवं 6 की बैंकों से ऋण भी लिया गया है और भूमियां बंधक है तहसीलदार को उक्त वादग्रस्त भूमियों को बिना बंधनमुक्त किये विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 व 2 मध्यप्रदेश शासन तथा तहसीलदार के विरुद्ध बिना बंटवारा किये भूमि नीलाम व विक्रय की कोई कार्यवाही न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश करते हुये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादी क्र. 1 व 2 प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त भूमियों के संबंध में कोई नीलामी व विक्रय की कार्यवाही न करे।

(4) प्रतिवादी क्रमांक-4 ने आवेदन पत्र का जवाब पेश करते हुये समस्त तथ्यों को स्वीकार किया है।

(5) प्रतिवादी क्रमांक 3 ने जवाब पेश करते हुये आवेदन पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये अभिकथित किया है कि प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिकरण बैतूल के समक्ष 2007 में वादी के विरुद्ध प्रकरण पेश किया गया था जिसमें दिनांक 25-03-2010 को प्रतिवादी क्रमांक-3 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये थे, 3,22,085/-रुपये की राशि वादी से वसूल की जानी है जिस हेतु प्रतिवादी ने तहसीलदार बैतूल से लेवी वारंट जारी किया गया था। वादी द्वारा लेबर कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी पेश की गई जो निरस्त कर दी गई है। तहसीलदार द्वारा राशि वसूल नहीं किया जा रहा है इस हेतु प्रतिवादी क्रमांक-3 ने माननीय उच्च न्यायालय में वसूली याचिका भी दायर की गई थी जिसमें दिनांक 16-04-2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि 30 दिवस के भीतर राशि वसूल करे। वादी एवं प्रतिवादी क्र. 2 तहसीलदार के मध्य दुरभिसंधि है इसलिये तहसीलदार द्वारा राशि

वसूल नहीं की जा रही है। वादी द्वारा मात्र तहसीलदार बैतूल की आर.आर.सी. कार्यवाही रोके जाने हेतु यह वाद असत्य आधारों पर संस्थित किया है। वादी का दावा प्रचलन योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा दावा एवं आवेदन पत्र सब्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(6) प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा आवेदन पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

(7) प्रतिवादी क्रमांक-5 द्वारा आवेदन पत्र का जवाब पेश करते हुये यह स्वीकार किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और वादी की संपत्ति बैंक आफ महाराष्ट्र अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-5 के पक्ष में बंधक रखी है जिसे मुक्त किये बिना संपत्ति को नीलाम नहीं किया जा सकता तथा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(8) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :-

1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?

2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?

3-क्या अपूर्ण क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?

(9) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।

(10) प्रकरण में यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा वादी के विरुद्ध कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पेश किया गया था जिसमें दिनांक 12-01-2010 को श्रम न्यायालय बैतूल द्वारा रुकमाबाई के पक्ष में 3,22,085/-रुपये मय शास्ति एवं ब्याज के दिलाये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसकी वसूली हेतु श्रम न्यायालय द्वारा तहसीलदार बैतूल अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-2 को आर.आर.सी. जारी किया गया है। वादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि नजूल

शीट नंबर 23, 24, 25 प्लॉट नंबर 7/11, 1/10, 1/21, 1/22 के वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 भूमि स्वामी है, उनका बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी दशा में तहसीलदार बैतूल को उक्त भूमियों को आर.आर.सी. के माध्यम से विक्रय कर राशि वसूल किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि वादग्रस्त भूमियां वादी की नहीं हैं। वादी द्वारा केवल यह अभिकथित किया गया है कि उन भूमियों को बिना बंटवारे के एवं बैंकों से बंधनमुक्त किये बिना प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 को किसी भी माध्यम से नीलाम व विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक-3 के पक्ष में वादी के विरुद्ध कर्मकार अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के आदेश पारित किये गये हैं। श्रम न्यायालय ने वादी द्वारा राशि अदा न किये जाने के बाद आर.आर.सी. तहसीलदार बैतूल को जारी किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आर.आर.सी. के अधीन तहसीलदार द्वारा राशि वसूली हेतु कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकती है। वादी के विरुद्ध भी राशि वसूली हेतु आर. आर. सी. जारी हुई है जिसका निष्पादन तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है। आर.आर.सी. वसूली तहसीलदार द्वारा विधि अनुरूप की जा रही है जिसे स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और वैसे भी विधिक कार्यवाहियों को स्थगन के माध्यम से रोकना नहीं जा सकता है।

(11) वादी की ओर से न्याय दृष्टांत स्टेट आफ एम पी वि० मांगीलाल 2011(4) एम पी एल जे 104 पेश किया है, जो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 214-15 एवं 248 पर आधारित है और वह प्रतिकूल कब्जे के संबंध में है और उक्त न्याय दृष्टांत की इस प्रकरण से संबंधित परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और मेल नहीं खाती हैं ऐसी दशा में उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। चूंकि तहसीलदार द्वारा विधि अनुरूप कार्यवाही की जा कर आर. आर. सी. की वसूली की जा रही है, ऐसी दशा में वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया जाता है और न ही उसे सुविधा या असुविधा का प्रश्न ही उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश

**39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 2
निरस्त किया जाता है।**

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित किया गया ।

मेरे निर्देश में टंकित
किया गया ।

(पंकज कुमार)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१
बैतूल

(पंकज कुमार)

बैतूल